



192/1

दूरभाष- 2286709  
2286710

नय धेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1311/05/76/एक/2015-16  
सेवा में,

दिनांक : 6 जुलाई 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-फर्रुखाबाद।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
आईडीबीआई बैंक	1317104000003629	IFSC Code IBKL0001317	136.370

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० नरायनपुर में सातनपुर मण्डी के पास रामवीर के मकान से लकुशराम के मकान तक एव नरेश यादव वाली गली एवं लकुशराम से डा० हेतराम तक एवं सुभाष के मकान से खिन्नी नगला लिक रोड तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	3.534
2	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० नरायनपुर में सातनपुर मण्डी के पास रामवीर के मकान से लकुशराम के मकान तक एव नरेश यादव वाली गली एवं लकुशराम से डा० हेतराम तक एवं सुभाष के मकान से खिन्नी नगला लिक रोड तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	5.463
3	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० दुइयों में जौहरी के मकान से सरनाम जाटव तक एवं नाले से लालाराम जाटव, कामता से सरनाम जाटव तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	1.815
4	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० नौलक्खा में रतीराम से मुजीव तक एवं मो. दुइयों में अमर सिंह से राम सिंह तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	1.427
5	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० लोहिया नगर में डा० जितेन्द्र यादव के निर्माणाधीन अस्पताल से चप्टा बाबा मजार के आगे तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	7.324
6	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० लोहिया नगर में जनार्दन गुप्ता के मकान से मोतीलाल के मकान तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	7.865
7	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० लोहिया नगर में बाबूराम यादव के मकान से वन विभाग रनेज आफिस तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	6.933
8	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० लोहिया नगर में सक्सेना वकील साहब के मकान से बब्लू ठाकुर के मकान तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	5.210
9	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० लोहिया नगर में पूर्व विधायक कुलदीप गंगवार के कैंप कार्यालय से राहुल गंगवाल के प्लाट तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	4.808
10	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० लोहिया नगर में विजय मिश्रा वाली गली में नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	2.601



192/2

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
11	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 फर्रुखाबाद	मो0 नरायनपुर गुजन बिहार कालोली में लालू कटियार से राजू श्रीवास्तव के मकान होते हुए नेकपुर चोरासी लिंक रोड तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	3.744
12	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 फर्रुखाबाद	मो0 नरायनपुर सेन्ट्रल जेल चौकी के पीछे मुख्य सड़क पर अमरसिंह के मकान तक प्राइमरी स्कूल तक रामपाल एवं रमेश जनता स्कूल के पीछे वाली गली में नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	2.470
13	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 फर्रुखाबाद	मो0 नरायनपुर सेन्ट्रल जेल चौकी के पीछे रामदास जाटव से वेबर रोड मुख्य सड़क तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	1.388
14	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 फर्रुखाबाद	मो0 नरायनपुर के हसनबाग में सदानन्द की चक्की से मण्डी रोड मुख्य सड़क तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	5.246
15	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 फर्रुखाबाद	मो0 नरायनपुर में सातनपुर मण्डी के पास बाबूराम कठेरिया के मकान से पातीराम के मकान तक एवं सुरेश शाक्य से रमेश दिवाकर तक व पातीराम से रामओतार तक एवं हरपाल की दुकान वाली गली में नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	1.491
16	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 फर्रुखाबाद	मो0 श्याम नगर में मण्डी रोड से सर्वेश कटियार तक, अजय कटियार से शरद कटियार एवं देशराज वाली गली में नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	11.303
17	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 फर्रुखाबाद	मो0 नवदिया में वाल्मीक बस्ती में राजू के मकान से वाल्मीक मन्दिर के आगे पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।	6.555
18	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 फर्रुखाबाद	मो0 दुइयों में बादाम सिंह से चक्की तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	1.883
19	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 फर्रुखाबाद	मो0 रकाबगंज खुर्द में अमर सिंह से मुन्ना लाल के मकान तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	1.794
20	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 फर्रुखाबाद	मो0 पलरिया में मनोज के मकान से सुधीर एवं अन्य गलियों में नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	1.053
21	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 फर्रुखाबाद	मो0 लोहियानगर में कृष्ण कुमार चौहान से रामसेवक भारती के मकान होते हुए वीरेन्द्र सिंह से आलम के मकान तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	4.772
22	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 फर्रुखाबाद	मो0 लोहियानगर में बाबूराम के मकान से आशादेवी के मकान तक एवं सूजू के मकान से पंकज तक एवं नरायनदास सिंधी के मकान तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	4.064
23	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 फर्रुखाबाद	मो0 लोहियानगर में गणेश सिंह के मकान से भूपेन्द्र सिंह के मकान एवं आर0पी0सिंह वाली गली, सियाराम जाटव वाली गली में नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	9.000
24	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 फर्रुखाबाद	मो0 नवदिया में राजकुमार के घर से कल्लू वाल्मीक के मकान तक सप्पू के मकान से नन्हें के मकान तक एवं मन्दिर से नरेश वाल्मीक के मकान तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	1.843
25	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 फर्रुखाबाद	मो0 नवदिया में राकेशबाबू के मकान से विजय पाल के मकान होते हुए पुलिया तक एवं सत्यवती के मकान से विजय के मकान तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	2.424



192/3

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
26	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० लोहियानगर में विज्ञाम सिंह कठेरिया से मुख्य सम्पर्क मार्ग तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	3.338
27	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० लोहियानगर में राकेश कटियार से लोहिया अस्पताल मुख्य मार्ग तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	7.377
28	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० लाल दरवाजा के डिग्गीताल में विनय अवस्थी से रमाकान्त के मकान तक एवं गलियों में नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	7.591
29	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० बिराबाग शान्ती नगर में पाठक जी के मकान से बद्धपुर मन्दिर तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	4.061
30	फर्रुखाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० फर्रुखाबाद	मो० बिराबाग शान्तीनगर में अरुण बाजपेई के मकान से बद्धपुर मन्दिर तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	7.993
	योग				136.370

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।



192/4

दूरभाष- 2286709


2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किशत की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किशत में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।


भवदीय,

  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक